# न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

**अपील संख्या 22/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/24)**

1. द्वारका प्रसाद पुत्र घीसाराम जाती ब्राह्मण निवासी ग्राम चरला तहसील सुजानगढ जिला चूरू (फौत)

| | |
|---|---|
| 1/1 तुलसी देवी<br>1/2 पवन कुमार<br>1/3 विकास<br>1/4 रंजना | पिसरान द्वारका प्रसाद पुत्र घीसाराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चरला तहसील सुजानगढ जिला चूरू। |

2. सम्पत देवी पुत्री घीसाराम पत्नी जगमाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड चेतावास, बीर छापर रूरल, चेतावास , छापर जिला चूरू (फौत)

| | |
|---|---|
| 2/1 संदीप पुरोहित<br>2/2 अरूण पुरोहित<br>2/3 शशिकला<br>2/4 सरिता<br>2/5 समता | पिसरान सम्पत देवी पुत्री घीसाराम पत्नी जगमाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड चेतावास, बीर छापर रूरल, चेतावास , छापर जिला चूरू। |

3. रूकमणी देवी पुत्री घीसाराम पत्नी रिद्धकरण जाति ब्राह्मण निवासी 7–ई–17, महावीर नगर 3, कोटा।
4. सन्तोष शर्मा पुत्री घीसाराम पत्नी इन्द्रचंद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 10 हनुमान मन्दिर के सामने वाली गली, छापर बीर छापर जिला चूरू।
5. राजू देवी शर्मा पुत्री घीसाराम पत्नी शिवशंकर जाति ब्राह्मण निवासी जाजू हनुमान मन्दिर के पास, वार्ड नं. 10 बीर छापर, छापर जिला चूरू।

**अपीलान्ट्स**

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सुजानगढ ।

**रेस्पोडेंट**

उपस्थितः 1. श्री राजेश बैद – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

**निर्णय** **दिनांकः 19.07.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के आदेश (प्रेषित क्रमांक 45 दिनाक 07.01.2022) के विरूद्ध पेश हुई है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार (भू.अ.) सुजानगढ द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत पटवार हल्का चरला की रिपोर्ट के अनुसार चालू आम रास्तो/सड़क का राजस्व रिकॉर्ड में कटाण वास्ते प्रस्ताव हेतु जिला कलक्टर चूरू/उपखण्ड को प्रेषित किया। उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ द्वारा अपने आदेश क्रमांक 45 दिनाक 07.01.2022 द्वारा तहसीलदार सुजानगढ को भेजकर नियमानुसार प्रस्ताव अनुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करने के आदेश दिये । उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अपील पेश की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि अपीलान्ट्स की खातेदारी कृषि भूमि मौजारोही चरला के खसरा नं. 483 तादादी 3.40 हैक्टर स्थित है, राजस्व नक्शा (लट्ठा) में सही है, लेकिन ऑन लाईन नक्शे (डिजीटल नक्शा) मे सहबन से खसरा नं. 484 अंकित कर दिया गया है। जिसकी दुरूस्ती के लिये अपीलान्ट्स अलग से कार्यवाही संक्षम न्यायालय मे कर रहे है। वास्तव मे अपीलान्ट्स का कब्जा वर्तमान खसरा नं. 483 की 3.40 हैक्टर भूमि पर है जो पुश्तैनी रूप से चला आ रहा है तथा अपीलान्ट्स परिवार सहित उक्त भूमि में निवास करते आ रहे है, तथा अपनी उक्त भूमि के चारो तरफ पट्टीया लगाकर तारबन्दी की हुई है। मौके पर कभी भी उक्त वादगत भूमि में किसी प्रकार का कोई कदमी रास्ता ना तो था और ना ही प्रचलित रास्ता ही रहा है, ना ही वर्तमान में अपीलान्ट्स के खातेदारी खेत में किसी प्रकार का कोई रास्ता प्रचलन में है। आदेश जैर अपील पूर्णतयाः दुर्भावनापूर्ण व मात्र अपीलान्ट्स को तंग व परेशान करने की नियत से पारित किया गया है। आदेश जैर अपील से अपीलान्ट्स का खेत दो भागो मे विभक्त हो जाता है। जिससे काश्त करने, फसल की सार सम्भाल, सिचाई करने भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आदेश जैर अपील न्यायोचित ना होकर मात्र राजनैतिक द्वेषता से पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के जिस अधिसूचना

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सन् 2016 का सहारा लेकर आदेश जैर अपील पारित किया है उसकी समयाविधी काफी पूर्व समाप्त हो चुकी है। साथ ही इस अधिसूचना में दी गई व्यवस्थाओ का पूर्ण एवं विधिक पूर्वक पालन नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश जैर अपील की अपीलान्ट्स को कोई जानकारी नही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को किसी प्रकार का कोई नोटिस नही दिया, ना ही साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया, आदेश जैर अपील पूर्णतया इकतरफा तौर पर पारित किया गया है। डिजीटल नक्शे के आधार पर तैयार प्रस्ताव जिसके आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है, में डिजीटल नक्शे की लिपीकिय त्रुटि के कारण खसरा नं. 484 तादादी 3.40 हैक्टर अंकित करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है, जबकि उक्त आदेश भौतिक रूप से अपीलान्ट्स के खसरा नं. 483 के सम्बन्ध में है तथा पालना में डिजीटल नक्शा भी उक्त रास्ता अपीलाधीन के खेत मे दर्शाया गया है। जिससे अपीलान्ट्स आदेश जैर अपील से सिधे तौर पर प्रभावित हुए है तथा आदेश जैर अपील व उसके पालना मे दर्ज नामान्तरण सं. 1264 दिनांक 21.01.2022 में अपीलान्ट्स को हितबद्व एवं पक्षकार होते हुए भी बनाये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट जानकारी से अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमावे। आदेश जैर अपील के क्रम मे राजस्व रेकार्ड व राजस्व नक्शे में किये गये परिवर्तनो का पुनःस्थापित करने के आदेश फरमावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्ततु प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि डिजीटल नक्शे के आधार पर तैयार प्रस्ताव जिसके आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है, में डिजीटल नक्शे की

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

लिपीकीय त्रुटि के कारण खसरा नं. 484 तादादी 3.40 हैक्टर अंकित करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है जबकि उक्त आदेश भौतिक रूप से प्रार्थीगण के खसरा नं. 483 के सम्बन्ध में है तथा पालना में डिजीटल नक्शा भी उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खेत मे दर्शाया गया है। जिससे प्रार्थीगण आदेश जैर अपील से सिधे तौर पर प्रभावित हुए है। आदेश जैर अपील व उसके पालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1264 दिनांक 21.01.2022 मे भी प्रार्थीगण सिधे तौर पर प्रभावित हुए है। अपीलान्ट हितबद्व व प्रभावित पक्षकार है। उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्व रेस्पोडेन्ट द्वारा काउन्टर शपथ पत्र पेश नही किया गया है। ऐसी स्थति में प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

7. अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के निर्णय दिनांक 07.01.2022 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 27.04.2022 को अपील प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर है। परन्तु अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद अधिनियम धारा –5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर आदेश जैर अपील की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 04.03.2022 को अप्रार्थी के कर्मचारी से होना तथा दिनांक 10.03.2022 को नकल मिलने का कारण भी अंकित किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के विरूद्व काउन्टर शपथ पत्र पेश नही किया गया है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा– 5 मय शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए न्यायहित में अपील अन्दर मियाद शुमार किये .जाने के आदेश दिये जाते है।

8. अपीलाधीन आदेश में खसरा नं. 484 के अतिरिक्त खसरा 486, 769/496, 510, 509 में भी रास्ता स्वीकृत किया गया है, जो कि कई खातेदारो हेतु स्वीकृत किया गया है। जिसमें अपीलान्ट के साथ अन्य खातेदार भी प्रभावित पक्षकार है जिनको अपीलान्ट द्वारा पक्षकार नही बनाया गया है। अतः पक्षकारो के असंयोजन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

9. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 19.07.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।